**दिनांक 14.10.2026 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में जमुई जिलान्तर्गत बरनार जलाशय योजना का निर्माण कार्य के कार्यान्वयन के क्रम में डूब क्षेत्र के वन भूमि में अवस्थित/बसे परिवारों के पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन (R&R) के संबंध में अपेक्षित सुझाव/मार्गदर्शन हेतु संपन्न बैठक की कार्यवाही।**

**बैठक में उपस्थित पदाधिकारीगण :–**

1. श्री आनंद किशोर, अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार।
2. श्री चन्द्रशेखर सिंह, सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार।
3. श्री कमलेश कुमार सिंह, निदेशक, भू–अर्जन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार।
4. श्री सुरेंद्र सिंह, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार।
5. ई० निखिल कुमार, अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
6. श्रीमती शिप्रा विजय कुमार चौधरी, उप विकास आयुक्त, जमुई।
7. ई० मो० सोहेल अहमद अंसारी, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर।
8. ई० अमरेन्द्र कुमार, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–3, पटना।
9. ई० दीपेन्द्र कुमार रजक, अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, जमुई, जल संसाधन विभाग।
10. श्री प्रवीण कुमार, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, झाझा।

**समीक्षा के क्रम में विमर्शित किये गये बिन्दुओं एवं दिये गये निदेशों की विवरणी निम्नवत् है:–**

- बैठक में अवगत कराया गया कि जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा गठित जाँच दल के माध्यम से प्रतिवेदित है कि बरनार जलाशय योजनांतर्गत प्रस्तावित डैम के डूब क्षेत्र (वन भूमि) में कुल 92 अनुसूचित जनजाति परिवार, जिनमें कुल 340 सदस्य हैं, आवासित हैं। डैम निर्माण के क्रम में इन परिवारों का विस्थापन प्रस्तावित है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अध्याय–III के कंडिका–4(3) में उल्लेखित है कि ऐसी अनुसूचित जनजातियां या जनजातीय समुदाय या अन्य पारंपरिक वन निवासी जो 13 दिसंबर, 2005 से पूर्व से वन भूमि पर काबिज रहे हों, को वन अधिकारों की मान्यता होगी।

  साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बताया गया कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR, 2013) के कंडिका–3(c) में प्रभावित परिवारों तथा कंडिका–3(r) में भू–स्वामी को परिभाषित किया गया है। उक्त अधिनियम के अनुसार प्रस्तावित बरनार जलाशय के डूब क्षेत्र में बसे भूमिहीन परिवार प्रभावित परिवार एवं भू–स्वामी की श्रेणी में आते है, जिनका पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित है।
- कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, झाझा द्वारा बैठक में बताया गया कि प्रभावित परिवारों का पुनर्वास तेतरिया गाँव के पश्चिम, चरका पत्थर थाना क्षेत्र, ग्राम पंचायत रजौन, प्रखंड सोनो में कराया जा सकता है, जिसपर उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त करते हुये सर्वसम्मति से निर्णय लिया

गया कि प्रस्तावित बरनार जलाशय के डूब क्षेत्र में बसे भूमिहीन परिवारों का पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन निम्न प्रकार से किया जा सकता है :–

i. सर्वप्रथम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वर्णित डूब क्षेत्र में रह रहे सभी परिवारों का सर्वेक्षण कर पहचान करते हुये अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अध्याय–III के कंडिका–4(3) के आलोक में वन अधिकारों की मान्यता सत्यापित की जायेगी।

**(अनुपालन – मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल,** जमुई/समाहर्ता, जमुई/वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई **प्रमंडल, झाझा)**

ii. डूब क्षेत्र में रहने वाले वन अधिकारों की मान्यता प्राप्त विस्थापित होने वाले परिवार RFCTLARR, 2013 के कंडिका–3(c) में परिभाषित प्रभावित परिवार तथा कंडिका–3(r) में परिभाषित भू–स्वामी के अंतर्गत आते हैं। अतएव प्रस्तावित बरनार जलाशय के डूब क्षेत्र में बसे भूमिहीन परिवारों का पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन RFCTLARR, 2013 के अनुसार किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में समाहर्ता, जमुई इन भूमिहीन परिवारों का R&R Plan तैयार कर उचित मुआवजा राशि हेतु आवंटन अधियाचना जल संसाधन विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(अनुपालन – मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, **जमुई/समाहर्ता, जमुई/वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, झाझा)**

iii. विकास आयुक्त, बिहार द्वारा उक्त R&R Plan में निम्न प्रावधानों को भी सम्मिलित किये जाने हेतु निदेशित किया गया :–

a) भूमिहीन परिवारों को बिहार सरकार अंतर्गत अभियान बसेरा 2.0 योजना के अधीन 5.00 डिसमिल सरकारी भूमि एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

b) इन परिवारों को पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इनके प्रस्तावित कॉलोनी में आवश्यकतानुसार जलस्रोत, विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, सामुदायिक भवन, पूजा–स्थल, स्ट्रीट लाईट, बिजली एव पेयजल, इत्यादि जैसी बुनियादी आधारभूत संरचनायें निर्गित की जाय। साथ ही इनके परिवेश में फलदार वृक्षों का रोपण किया जाय।

**(अनुपालन – मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, जमुई/समाहर्ता, जमुई/वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, झाझा)**

(मिहिर कुमार सिंह)
विकास आयुक्त

ज्ञापांक : यो०मो०–03–कार्य–10–04/2022–पार्ट–II– 2506 पटना, दिनांक : 27/10/26
प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, जमुई/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, झाझा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Nikil Kumar 27/10/2026
(निखिल कुमार)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांक : यो०मो०–03–कार्य–10–04/2022–पार्ट–II– 2506 पटना, दिनांक : 27/10/26
प्रतिलिपि : समाहर्ता, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Nikil Kumar 27/10/2026
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांक : यो०मो०–03–कार्य–10–04/2022–पार्ट–II– 2506 पटना, दिनांक : 27/10/26
प्रतिलिपि : सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार/निदेशक, भू–अर्जन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्प्रेषित।

Nikil Kumar 27/10/2026
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांक : यो०मो०–03–कार्य–10–04/2022–पार्ट–II– 2506 पटना, दिनांक : 27/10/26
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार/वन प्रमंडल, पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

Nikil Kumar 27/10/2026
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांक : यो०मो०–03–कार्य–10–04/2022–पार्ट–II– 2506 पटना, दिनांक : 27/10/26
प्रतिलिपि : सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

Nikil Kumar 27/10/2026
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांक : यो०मो०–03–कार्य–10–04/2022–पार्ट–II– 2506 पटना, दिनांक : 27/10/26
प्रतिलिपि : विकास आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।

Nikil Kumar 27/10/2026
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांक : यो०मो०–03–कार्य–10–10–04/2022–पार्ट–II– 2506 पटना, दिनांक : 27/10/26
प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल–2, जल संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

Nikil Kumar 27/10/2026
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन